न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1841/2026

UPST010055292026

शोभावती पत्नी राम जियावन, ग्राम इटकौली, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलानपुर।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 323/2024,
अन्तर्गत धारा 352 भारतीय न्याय संहिता एवं
3(1)(द) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 17.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता शोभावती के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 323/2024, अन्तर्गत धारा 352 भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(द) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. अभियोजन का संक्षेप कथानक यह है कि दिनांक 04.08.2024 की रात्रि लगभग 12:00 बजे, वादी मुकदमा जोखू की पुत्री सुमन घर की छत पर सो रही थी, तभी गांव का आशुतोष उर्फ छोटू शर्मा पुत्र रामजियावन शर्मा छत पर चढ़ गया और उसकी पुत्री का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। वादी की पुत्री द्वारा हल्ला–गुहार करने पर अभियुक्त ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे धमकाया कि वह शिकायत न करे।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, कथित अभियोग में रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी की तरफ से न्यायालय श्रीमान जी में प्रस्तुत यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत न तो न्यायालय श्रीमान जी में दिया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन ही है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त को किसी मुकदमें में सजा ही हुई है। उपरोक्त मामला झूंठा व कल्पना पर आधारित है, उपरोक्त कथित घटना वास्तव में कारित नहीं हुआ है। चोटहिल को सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादी मुकदमा को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादी मुकदमा न्यायालय के

समक्ष उपस्थित नहीं आया।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार तिवारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थिनी/अभियुक्ता नामित नहीं है, दौरान विचारण प्रार्थिनी/अभियुक्ता का नाम घटना कारित करने वाले अभियुक्ता के रूप में प्रकाश में आया है। अभियुक्ता द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का अभियोग है। अभियोजन द्वारा अभियुक्ता का कोई भी दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्ता अन्तरिम जमानत पर हैं। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्ता उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता शोभावती द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु0 30,000/– रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगी।
2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगी।
3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगी।
4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगी और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

<u>दिनांक 17.06.2026</u>

(स्टेनो सुधीर सिंह)